

मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग

क्रमांक / बी-1-5 / 93 / 14-2

भोपाल, दिनांक 15 मई 2000

आदेश क्रमांक 13 अ- अन्नपूर्णा योजना

प्रति,

- | | |
|---|---|
| 1- कलेक्टर (समस्त)
जिला | 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
जिला पंचायत |
| 3- आंचलिक प्रबंधक (समस्त)
कृषि जलवायु क्षेत्र
..... | 4- उप संचालक कृषि (समस्त)
जिला |
| 5- अनुविभागीय कृषि अधिकारी
(समस्त)
(समस्त) जिला | 6- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
..... जिला |
| 7- प्रक्षेत्र अधीक्षक, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र
(समस्त) जिला | |

विषय:- अन्नपूर्णा योजना के क्रियान्वयन के हेतु मार्गदर्शी निर्देश ।

कृषि विभाग की योजनाओं को जिला पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने के संबंध में इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक बी-1-6/98/14-2 दिनांक 30 अक्टूबर 1996 द्वारा प्रबंधन के निर्देश जारी किये गये थे, इसी के अनुक्रम में ज्ञापन क्रमांक / बी- 1-5 / 93 / 14-2 दिनांक 2 जून 1998 द्वारा कार्यकलापों के सफल क्रियान्वयन हेतु दायित्वों का निवारण जारी किया गया है ।

2. कृषि विभाग की धान बीज अदला-बदली कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुछ परिवर्तनों के साथ अधिक्रमित करते हुये मार्गदर्शी निर्देश क्रमांक / बी-1-5 / 93 / 14-2 दिनांक 26.4.99, 4.6.99 एवं 11.10.99 द्वारा जारी किये गये हैं । अब वर्ष 2000-01 के लिए तथा आगामी आदेशों तक इन आदेशों को अधिक्रमित करते हुये यह नये मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जा रहे हैं । वर्ष

2000-01 में योजनान्तर्गत फसलों को सम्मिलित किया जाकर अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के साथ ही अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को भी लाभ दिया जाना है ।

3. 3. कार्यक्रम

3.1 3.1 उद्देश्य

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को जो विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों की उन्नत किस्मों को क्रय करने में असमर्थ होते हैं । ऐसे कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना ।

3.2 3.2 योजना का स्वरूप

वर्ष 98-99 तक धान, बीज अदला-बदली योजनान्तर्गत आदिवासी लघु एवं सीमांत कृषकों को उनके द्वारा दिये गये बीज के बदले विपुल उत्पादन देने वाली धान फसल के उन्नत बीज एक हेक्टेयर की सीमा तक के लिये प्रदाय किये जाते थे । वर्ष 99-2000 में बीज स्वावलम्बन एवं बीजोत्पादन कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया । वर्ष 2000-2001 से सभी खाद्यान्न फसलों के उन्नत बीज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को उपलब्ध कराया जाना है ।

3.21 3.21 बीज अदला-बदली कार्यक्रम

- (1) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को खाद्यान्न फसलों की विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के उन्नत बीज उनके द्वारा दी गई फसल के विरुद्ध उपलब्ध कराये जायेंगे । योजना में उन्नत किस्मों को प्राथमिकता दी जायेगी जो क्षेत्र के लिये उपयुक्त/ प्रचलित हो । इसमें समयावधि का बंधन नहीं रहेगा ।

- (2) कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जायेगा । प्रमाणित बीज की कमी रहने की स्थिति एवं फसल विशेष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संचालक कृषि की अनुमति से सत्य रूप बीज का वितरण किया जा सकेगा ।
- (3) जो भी कृषक जिस किसी भी फसल के बीज देगा, उसके बदले में उसको भूमि एवं क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्मों के बीज बराबर मात्रा में एक हेक्टेयर की सीमा तक के लिये उपलब्ध कराये जावेंगे । यदि कृषक अन्य फसल का बीज देता है तो कृषक द्वारा दिया गया बीज चाही गई फसल के प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत मूल्य का होना चाहिए ।

3.22 3.22 बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम

- (1) बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को उनके द्वारा धारित भूमि के 1/ 10 रकबे के लिये आधार/ प्रमाणित बीज दिये जावेंगे, जिससे कि अगले वर्ष कृषक के पास स्वयं के अपने पूरे क्षेत्र के लिये विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के उन्नत बीज उपलब्ध हो सके ।
- (2) कृषक को आधार बीज उपलब्ध कराने से अगले तीन वर्षों तक बीज की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि प्रमाणित I, प्रमाणित II बीज दिया गया तो क्रमशः अगले दो, एक वर्ष के लिये बीज की आवश्यकता नहीं होगी । कृषक को उपरोक्त दर्शाये अनुसार एक दो या तीन वर्ष बाद योजनान्तर्गत बीज उपलब्ध कराया जा सकता है ।
- (3) अगले वर्ष कृषक अन्य लाभकारी फसल या उपयुक्त नई किस्म लेना चाहता है तो उसके लिये बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

3.23 3.23 बीज उत्पादन कार्यक्रम

(1) क्षेत्र निर्धारण

शासकीय कृषित प्रक्षेत्रों के दस किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को खाद्यान्न फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिये आधार/ प्रमाणित I श्रेणी के बीज उपलब्ध

कराये जायेंगे । कृषक द्वारा कम से कम 1/2 एकड (0.2 हेक्टर) क्षेत्र में कार्यक्रम लिया जायेगा । अधिकतम एक हेक्टेयर तक अनुदान प्रात्रता रहेगी ।

(2) पंजीयन

कृषकों को अनिवार्यतः बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन कराना होगा ।

(3) प्रक्रिया

प्रक्षेत्र के आस पास लिये जाने वाले बीजोत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादित बीज का ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, स्टाकिंग एवं पैकिंग प्रक्षेत्र पर किया जावेगा । यदि प्रक्षेत्र पर उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो बीज निगम/ अन्य संस्थाओं के प्रक्रिया केन्द्र पर उक्त सुविधा कृषकों को दी जावेगी ।

(4) जिम्मेदारी

इस प्रकार उत्पादित बीज की व्यवस्था बीज उत्पादक समिति के द्वारा की जावेगी, जिसका गठन बीज उत्पादक कृषकों के सहयोग से कृषि प्रक्षेत्र के अधीक्षक द्वारा किया जावेगा । समिति के अध्यक्ष एवं प्रक्षेत्र अधीक्षक का संयुक्त खाता बैंक में खोला जावेगा । क्षेत्र में समिति न बनने की स्थिति में प्रक्षेत्र अधीक्षक के द्वारा उत्पादित बीज की खरीदी शासन द्वारा निर्धारित खरीदी मूल्य पर की जावेगी । कृषि विभाग की उपार्जन नीति के विस्तृत निर्देश संचालनालय कृषि के पत्र क्रमांक सूरजधारा /99 –2000/ 4347 दिनांक 11.11.99 द्वारा जारी किये गये हैं । निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो ।

(5) उत्पादित बीज व्यवस्था

जब तक रिवोल्विंग फण्ड की स्वीकृति नहीं दी जाती है तब तक प्राप्त आवंटन में से उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत उपार्जित बीज की खरीदी ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, स्टाकिंग एवं पैकिंग में व्यय किया जावेगा । तैयार उत्पादित बीज अन्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जानजाति के कृषकों को अगले वर्ष उपलब्ध कराया जा सकेगा। उक्त प्रक्रिया अपनाने से अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति के कृषकों को उत्पादित खाद्यान्न फसलों का उन्नत बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकेगा ।

3.3 योजना में निम्न खाद्यान्न फसलें शामिल की गई है

- (1) खरीफ – धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कौदो, कुटकी, रागी,
- (2) रबी – गेहूं, जौ

4. कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र

बीज अदला-बदली कार्यक्रम एवं बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम चयनित शासकीय प्रक्षेत्रों (परिशिष्ट ब) के 10 किलोमीटर परिधि में क्रियान्वित होगा ।

5. कार्यक्रम के घटक

कार्यक्रम के घटकों को क्रियान्वयन हेतु दो श्रेणियों में रखा गया है –

- 5.1 5.1 घटकों के क्रियान्वयन में जिला पंचायत की भूमिका रहेगी वे नीचे दिये गये हैं –

(1) बीज अदला बदली कार्यक्रम

- 5.2 5.2 जिन घटकों का क्रियान्वयन संचालक कृषि के निर्देश पर उप संचालक कृषि सीधे करेंगे वे नीचे दिये गये हैं –

- (1) बीज उत्पादन कार्यक्रम
- (2) बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम

6. वित्तीय व्यवस्था

- 6.1 6.1 संचालक कृषि जिले के उप संचालक कृषि को कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिये आवंटन जारी करेंगे, तथा भौतिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे ।

- 6.2 6.2 प्रत्येक घटक में वित्तीय प्रावधान की सीमा तक जिला स्तर पर भौतिक लक्ष्य, उपलब्ध आवंटन के आधार पर परिवर्तित किये जा सकेंगे ।

- 6.3 6.3 उप संचालक कृषि बीज, अदला बदली घटक की राशि का व्यय जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति के अनुमोदन उपरांत करेंगे ।
- 6.4 6.4 उप संचालक कृषि बीजोत्पादन कार्यक्रम एवं बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम की राशि का व्यय संचालक कृषि के निर्देशानुसार करेंगे ।
- 6.5 6.5 उप संचालक कृषि व्यय पत्रक संचालक कृषि एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रतिमाह 5 तारीख तक आवश्यक रूप से भेजेंगे ।

7. लक्ष्यों का निर्धारण

7.1. बीज अदला-बदली कार्यक्रम

- 7.11 7.11 संचालक कृषि कार्यक्रम के प्रावधान अनुसार जिले के लघु एवं सीमांत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों की जनसंख्या विगत वर्षों की प्रगति एवं जिलों की मांग को ध्यान में रखकर जिले के लिये भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे
- 7.12 7.12 उप संचालक कृषि लघु एवं सीमांत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों की संख्या एवं पूर्व वर्षों की प्रगति के आधार पर लक्ष्यों का विभाजन विकास खण्डवार करेंगे तथा इसका अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से प्राप्त करेंगे । अनुमोदन उपरांत इसकी सूचना अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को देंगे ।
- 7.13 7.13 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त लक्ष्यों का विभाजन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्रवार कर इसका अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से प्राप्त करेंगे । जिसकी सूचना कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दी जावेगी ।

7.2 7.2 बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम

- 7.21 7.21 संचालक कृषि कार्यक्रम के प्रावधान अनुसार जिले की मांग को ध्यान में रखकर भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे ।

- 7.22 7.22 उप संचालक कृषि प्राप्त लक्ष्यों का विभाजन विकास खण्डवार करेंगे । जिसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी कृषि अधिकारी एवं विकास खण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को देंगे ।
- 7.23 7.23 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त लक्ष्यों का विभाजन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्रवार करेंगे । जिसकी सूचना ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी को दी जावेगी ।

7.3 7.3 बीज उत्पादन कार्यक्रम

- 7.31 7.31 संचालक कृषि, जिले के उप संचालक कृषि की मांग एवं चयनित प्रक्षेत्रों की प्रशासनिक क्षमता को ध्यान में रखकर चयनित प्रक्षेत्रवार भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे ।
- 7.32 7.32 उप संचालक कृषि प्राप्त लक्ष्यों को प्रक्षेत्र अधीक्षक, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र व वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, संबंधित विकास खण्ड एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कृषि अधिकारी को भेजेंगे ।

8. घटकवार, हितग्राही चयन, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया –

8.1 8.1 बीज अदला-बदली कार्यक्रम

8.11 8.11 हितग्राही का चयन –

- (1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों का प्राथमिक चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जावेगा । ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लक्ष्यों से डेढ़ गुना हितग्राहियों का चयन करेंगे ।
- (2) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषकों के नामों की सूची तैयार कर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे ।
- (3) प्रतिवर्ष नये कृषकों को बीज दिया जावेगा । यदि पुराने कृषक को पुनः बीज दिया जाता है तो उस फसल/ किस्म के लिये नहीं दिया जायेगा, जिसे पूर्व के वर्षों में दिया गया था । उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक कृषक लाभकारी नई फसल / किस्मों को अपना सके ।
- (4) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त प्राथमिक सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से करायेगें । इस सूची में पहले लिखे नामों को वरीयता दी जावेगी । शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेगे । प्रतीक्षा सूची

फसल मौसम तक ही मान्य रहेगी और अंतिम होगी । इसमें किसी अन्य स्तर से फेरबदल नहीं किया जावेगा ।

8.12 8.12 क्रियान्वयन

- (1) चयनित हितग्राही को विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज सेवा सहकारी समिति /विकास खण्ड/ शासकीय कृषि प्रक्षेत्र के माध्यम से प्रदाय किये जावेंगे ।
- (2) किसी भी कृषक को एक हेक्टेयर की आवश्यकता से अधिक उन्नत बीज प्रदाय नहीं किया जावेगा ।
- (3) उन्नत बीज प्रदाय संस्था क्षेत्र की मांग अनुसार निकटतम केन्द्र में बीज भंडारित किया जावेगा, ताकि बीज वितरण संस्थाएँ केन्द्र से आसानी से बीज ले जा सकें ।
- (4) योजना में आवश्यक बीज की मांग संयुक्त हस्ताक्षर से (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं समिति प्रबंधक) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से अनुविभागीय कृषि अधिकारी को भेजी जावेगी ।
- (5) अनुविभागीय कृषि अधिकारी का दायित्व होगा कि वे बीज प्रदाय संस्था एवं सहकारी बैंक प्रबंधक से समन्वय कर बीज समय पर उपलब्ध करावें ।
- (6) 1. कृषक हितग्राही से प्राप्त बीज का घोष विक्रय स्थानीय कृषि उपज मंडी में निम्नानुसार समिति द्वारा किया जाएगा :-
 1. शाखा प्रबंधक सहकारी बैंक सदस्य
 2. सचिव कृषि उपज मंडी सदस्य
 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सदस्य सचिव
- 2- कृषक हितग्राही से प्राप्त बीज विभिन्न केन्द्रों से संग्रहण कर कृषि उपज मण्डी में घोष विक्रय की व्यवस्था वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। बीज संग्रहण करने में होने वाला व्यय नियमानुसार योजनामद से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

- 3— उप संचालक कृषि घोष विक्रय की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे तथा किसी प्रकार का व्यवधान आने की स्थिति में प्रकरण साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर के सम्मुख रखेंगे ।
7. 1— बीज वितरण संस्था कृषकों को बीज प्रदाय कर बीज की वास्तविक कीमत का देयक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी देयक सत्यापन के पश्चात अनुविभागीय कृषि अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को भुगतान हेतु भेजेंगे ।
- 2— उप संचालक कृषि बीज वितरण संस्था द्वारा बीज अदला-बदली, बीज स्वावलम्बन एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम में प्रदाय बीज की वास्तविक कीमत योजनामद से बीज प्रदाय संस्था को प्रदाय करेंगे ।
- 3— शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर उत्पादित कच्चे बीजों की ग्रेडिंग प्रोसेसिंग स्टाकिंग एवं पैकिंग व्यय योजना मद से उप संचालक कृषि द्वारा किया जा सकेगा परन्तु तैयार बीज का उपयोग योजनान्तर्गत ही किया जावे । प्रदाय बीज की निर्धारित कीमत में से उक्त व्यय घटाकर शेष राशि शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों को भुगतान पेटे शासकीय खजाने में चालान से जमा की जावे ।
- 4— कृषक हितग्राही से कृषक अंश के रूप में प्राप्त नकद राशि को या उसके द्वारा दिये गये अनाज के घोष विक्रय के पश्चात प्राप्त राशि को मद 0401 कृषि कार्य, अन्य जमा-800 अन्य जमा में चालान द्वारा शासकीय खजाने में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा जमा की जायेगी । जमा राशि का विस्तृत विवरण वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्रतिमाह 5 तारीख तक अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं उप संचालक कृषि प्रतिमाह 10 तारीख तक कृषि संचालनालय नियमित रूप से भेजेंगे ।
- (8) उप संचालक कृषि वास्तविक कीमत अनुसार राशि बीज प्रदाय संस्था को प्रदाय करेंगे ।
- (9) किसी विशेष कारणवश बीज शेष रह जाता है तो बीज वितरण प्रणाली नियम के तहत बीज वापिस किया जावेगा ।

- (10) कार्यक्रम के संचालन में तकनीकी सलाह, मार्गदर्शन, देखरेख कृषि विभाग द्वारा की जावेगी ।
- (11) कृषक उत्पाद में से प्रथमतः स्वयं के उपयोग के लिये बीज रखें, शेष बीज आसपास के कृषकों को देने के लिये स्वतंत्र हैं ।
- (12) अनुदान/ सहायता की दरें परिशिष्ट “अ” में दर्शाई गई है ।

8.2 8.2 बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम

8.21 8.21 हितग्राही का चयन

- (1) बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लघु एवं सीमांत कृषकों, जो स्वयं का बीज तैयार करने के इच्छुक हो, का चयन किया जावेगा ।
- (2) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्राप्त लक्ष्य से डेढ़ गुना कृषकों का चयन कर सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे ।
- (3) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त सूचियों को संकलित कर अनुविभागीय कृषि अधिकारी को भेजेंगे ।
- (4) इस सूची में प्रत्येक विकास खण्ड के लिये पहले लिखे नामों को वरीयता दी जायेगी। शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेंगे । प्रतीक्षा सूची फसल मौसम तक ही मान्य होगी ।

8.22 8.22 क्रियान्वयन

- (1) बीज प्रदाय, शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों, राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया एवं कृषि विश्व विद्यालयों के द्वारा संचालक कृषि के निर्देश पर सीधे उप संचालक कृषि को किया जावेगा ।
- (2) उप संचालक कृषि बीज का प्रदाय विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को करायेगें ।

- (3) विकास खण्ड स्तर से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बीज ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से चयनित हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जावेगा ।
- (4) निर्धारित क्षेत्रफल में ही बीज की बोनी की जावेगी ।
- (5) अधिक उत्पादन हेतु सम्पूर्ण कृषि कार्यमाला अपनाई जाये ।
- (6) बीज की शुद्धता बनाये रखने हेतु अवांछनीय पौधों को अलग किया जावे ।
- (7) प्राप्त उत्पाद को कृषक द्वारा ठीक से संग्रहीत कर अगले वर्ष स्वयं के लिये या अधिक होने पर पड़ोसी कृषकों को बीज के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा ।
- (8) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हितग्राहियों की सूची बोनी के पश्चात बोये गये रकबे की जानकारी सहित अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं उप संचालक कृषि को भेजेंगे ।
- (9) यदि कृषक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकरण कराना चाहता है तो पंजीयन व्यय योजनान्तर्गत किये जाने वाले व्यय में से बीज उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा ।
- (10) अनुदान/ सहायता की दरें परिशिष्ट "अ" में वर्णित है ।

8.3 बीज उत्पादन कार्यक्रम

8.31 हितग्राही चयन एवं अनुमोदन

- (1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लघु एवं सीमांत कृषकों जो बीजोत्पादन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु इच्छुक हो, का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जावे ।
- (2) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लक्ष्य से डेढ़ गुना हितग्राहियों का चयन कर सूची तैयार करेंगे ।
- (3) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हितग्राहियों की सूची, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ प्रक्षेत्र अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे ।

- (4) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ प्रक्षेत्र अधीक्षक, प्राप्त सूची का परीक्षण कर अनुविभागीय कृषि अधिकारी का अनुमोदन लेगे । इस सूची में पहले लिखे नामों को वरिष्ठता दी जावे । शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेगे । प्रतीक्षा सूची फसल मौसम तक ही मान्य होगी ।

8.32 8.32 क्रियान्वयन

- (1) उत्पादन कार्यक्रम के लिये चयनित हितग्राहियों को विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों का उन्नत बीज निकटतम कृषि प्रक्षेत्रों के माध्यम से प्रदाय किया जावेगा ।
- (2) बीज का प्रदाय शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों, राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, स्टेट कारपोरेशन ऑफ इंडिया एवं कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालक कृषि के निर्देश पर सीधे उप संचालक कृषि को किया जावेगा ।
- (3) उप संचालक कृषि बीज का प्रदाय प्रक्षेत्र अधीक्षक को करायेगे ।
- (4) प्रक्षेत्र अधीक्षक, अनुविभागीय कृषि अधिकारी के अनुमोदन अनुसार आधार / प्रमाणित I बीज चयनित कृषकों को वितरित कर प्रगति की जानकारी अनुविभागीय कृषि अधिकारी को भेजेंगे ।
- (5) अधिक उत्पादन हेतु सम्पूर्ण कृषि कार्यमाला अपनाई जाये ।
- (6) बीज की शुद्धता बनाये रखने हेतु अवांछनीय पौधों को अलग किया जावे ।
- (7) बोनी के 20 दिन के अंदर अथवा शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व पंजीयन हेतु आवेदन पत्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रक्षेत्र अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे । प्रक्षेत्र अधीक्षक द्वारा बीज प्रमाणीकरण संस्था को निर्धारित समयावधि के अंदर उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (8) प्रक्षेत्र अधीक्षक पंजीकृत कृषकों की सूची, बोये गये क्षेत्र की फसल / किस्मवार जानकारी सहित अनुविभागीय कृषि अधिकारी को भेजेंगे ।
- (9) अनुविभागीय कृषि अधिकारी पंजीयन हेतु आवश्यक राशि (आवेदन शुल्क + पंजीयन शुल्क + निरीक्षण शुल्क + नमूना शुल्क) योजना मद से आहरण कर बीज प्रमाणीकरण संस्था को निर्धारित तिथि के पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

- (10) बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने के पूर्व हितग्राही को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण/ जानकारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ (अनुविभाग स्तर) द्वारा दी जावेगी ।
- (11) खेत स्तर पर सफल प्रमाणीकरण पश्चात कटाई/ गहाई के बाद बीज का उपार्जन बीज उत्पादन समिति/ प्रक्षेत्र अधीक्षक द्वारा निर्धारित दरों पर किया जावेगा ।
- (12) कच्चे बीज का संसाधन हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में तैयार किये गये शेड्यूल अनुसार शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथियों तक ग्रेडिंग एवं पैकिंग व्यवस्था प्रक्षेत्र अधीक्षक द्वारा की जावेगी ।
- (13) उत्पादित प्रमाणित बीज का वितरण आगामी वर्ष में मांग अनुसार क्षेत्र में निर्धारित कीमत पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया जावेगा ।
- (14) उक्त योजनान्तर्गत उत्पादन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग एवं हितग्राही के बीच बीज उत्पादन समिति/ प्रक्षेत्र अधीक्षक के माध्यम से एक अनुबंध संपादित होगा, जिससे बीज का उत्पादन/ उपार्जन एवं निर्धारित उपार्जित दरों पर भुगतान नीति के अनुसार हो सके ।
- (15) अनुदान एवं सहायता का विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया है ।

9. समयबद्ध कार्यक्रम (कट आफ डेटस)

	खरीफ	रबी/ ग्रीष्म
(1) हितग्रहियों का चयन	25 मई	31 अगस्त
(2) जिले में बीज उपलब्धता	30 मई	15 सितम्बर

(3) प्रक्षेत्र /सहकारी समिति /
लेम्पस / विकास खण्ड में
बीज उपलब्धता 10 जून 30 सितम्बर

(4) कृषकों को बीज प्रदाय 15 जून 10 अक्टूबर

10. भौतिक सत्यापन

योजना के घटको के क्रियान्वयन उपरांत भौतिक सत्यापन का उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगा –

उप संचालक कृषि	5 प्रतिशत
जिला स्तर (विषय वस्तु विशेषज्ञ)	10 प्रतिशत
अनुविभागीय कृषि अधिकारी / अनुविभागीय स्तरीय विषय वस्तु विशेषज्ञ	25 प्रतिशत
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी / प्रक्षेत्र अधीक्षक	50 प्रतिशत
कृषि विकास अधिकारी / ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	100 प्रतिशत

निरीक्षण एवं अनुश्रवण

- (1) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तीनों कार्यक्रम संबंधी कृषकवार सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित पंजी में रखेंगे ।
- (2) कृषि विस्तार अधिकारी अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान खेत का अवलोकन करेंगे एवं अपनी टीप पंजी में अंकित करेंगे ।
- (3) प्रक्षेत्र अधीक्षक उत्पादन कार्यक्रम एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीज स्वावलम्बन, अदला-बदली कार्यक्रम के निरीक्षण एवं अनुश्रवण के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होंगे ।
- (4) अनुविभागीय स्तर के विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी समय-समय पर तीनों कार्यक्रमों का निरीक्षण करेंगे तथा अपनी टीप पंजी में

दर्ज करेंगे । मूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे ।

- (5) उप संचालक कृषि प्राप्त प्रतिवेदनों का मूल्यांकन एवं संकलन कर संचालक कृषि एवं जिला पंचायत को मासिक उपलब्ध करावें ।

12. 12. व्यय

संचालक कृषि से प्राप्त आवंटन का उपयोग करने हेतु निम्नानुसार अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है । जिन जिलों को आवंटन नहीं दिया गया है, उन जिलों से मांग प्राप्त होने पर आवंटन दिया जा सकेगा ।

- ● खरीफ हेतु 31 अक्टूबर
- ● रबी / ग्रीष्म हेतु 31 जनवरी
- ● समस्त घटकों पर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों अनुसार 31 जनवरी तक सुनिश्चित किया जावे ।
- ● उप संचालक कृषि नियमित रूप से मासिक व्यय पत्रक संचालक कृषि एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करेंगे ।

13. बीज उत्पादन कार्यक्रम के कलेण्डर अनुसार कार्यवाही से समय पर कृषकों का अधिकाधिक लाभ तथा आवंटित राशि का सदुपयोग करने में सुविधा होंगी । परिशिष्ट "अ" में अनुदान की पात्रता दर्शायी गई है ।

14. कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं उप संचालक कृषि योजना में दिये गये मार्गदर्शी निर्देशों के

अनुरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कृपया कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें
।

(आर०परशुराम)
सचिव, मध्यप्रदेश
शासन
कृषि विभाग

प्रतिलिपि :-

1. 1. सचिव, मुख्यमंत्री जी, म0प्र0शासन भोपाल
2. 2. निजी सचिव, मंत्री जी कृषि
3. 3. निजी सचिव, राज्यमंत्री जी कृषि
4. 4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव म0प्र0शासन
5. 5. अध्यक्ष, जिला पंचायत समस्त मध्यप्रदेश
6. 6. कृषि उत्पादन, आयुक्त मध्यप्रदेश शासन
7. 7. प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन
8. 8. प्रमुख सचिव अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन
9. 9. सचिव सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश शासन
10. 10. आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश शासन
11. 11. संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश (समस्त)
12. 12. प्रबंध संचालक, राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल
13. 13. प्रबंध संचालक म0प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम भोपाल
14. 14. प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक भोपाल
15. 15. संचालक कृषि म0प्र0भोपाल
16. 16. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल
17. 17. प्रबंध संचालक बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल
18. 18. संचालक प्रक्षेत्र जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर
19. 19. संचालक प्रक्षेत्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर
20. 20. संचालक कृषि अभियांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल
21. 21. क्षेत्रीय प्रबंधक राष्ट्रीय बीज निगम भोपाल
22. 22. सम्पादक पंचायिका मध्यप्रदेश माध्यम भोपाल
23. 23. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपदपंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश

(आर.परशुराम)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग

vlluiwkkz ; kstuk & vupku dh ik=rk

1- cht vnyk&cnyh ; kstuk

योजना में बीज वितरण संस्था द्वारा अदला-बदली में प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान की पात्रता अधिकतम रूपये 1500 की सीमा में लघु एवं सीमांत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषक को रहेगी ।

2- cht LokoyEcu ; kstuk

योजना में कृषक द्वारा धारित 1/10 क्षेत्र के लिये आधार /प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जावेगा । बीज की शेष राशि कृषक नगद/स्वयं के बीज के रूप में दे सकेगा । स्वयं का बीज देने की स्थिति में बीज की कीमत समर्थन मूल्य से लगाई जावेगी । यदि कृषक बीज प्रमाणीकरण संस्था में उत्पादन कार्यक्रम में पंजीयन कराना चाहता है तो पंजीयन की राशि का भुगतान योजना मद से किया जावेगा ।

3- cht mRi knu dk; Øe

योजनान्तर्गत आधार/प्रमाणित बीज लघु एवं सीमांत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर एक हेक्टर तक के लिये उपलब्ध कराया जा सकेगा । बीज की शेष राशि कृषक नगद स्वयं के बीज के रूप में देगा । स्वयं का बीज देने की स्थिति में बीज की कीमत समर्थन मूल्य से लगाई जावेगी । पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जावेगा ।

वृत्तिका ; कस्तुरी & चित्तमरिचिका ; दे

चित्तमरिचिका ; दे फुल्लिका [क्र 'कल' धि ; द'क' इत्सका दस 10 फुल्लिका एव
धि इत्सका एव ; कस्तुरी ; कस्तुरी

Økæd	इत्सका उके	फुल्लिका
1.	गोहद	भिण्ड
2.	महुआखेड़ा	ग्वालियर
3.	इंदरगढ	दतिया
4.	गजौरा	शिवपुरी
5.	रन्नोद	शिवपुरी
6.	गरियाबंद	रायपुर
7.	खैरीबिलारी	रायपुर
8.	मोहगांव	दुर्ग
9.	सुरगी	राजनांदगांव
10.	भवंरमारा	राजनांदगांव
11.	अमेठी	रायगढ
12.	रगजा	जांजगीर
13.	लखनपुर	कोरबा
14.	गहवारा	सतना
15.	समदा	सीधी
16.	जबैरा	दमोह
17.	नौगांव	छतरपुर
18.	अजयगढ	पन्ना
19.	भोमाकटिया	सिवनी
20.	किन्ही	बालाघाट
21.	देलाखेडी	छिंदवाडा
22.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
23.	पिपरोद	कटनी
24.	मानपुर	उमरिया
25.	भीकनगांव	खरगोन
26.	चन्द्रकेशर	देवास
27.	गिरवर	शाजापुर
28.	पंचेड	रतलाम
29.	पाटन	मंदसौर
30.	फन्दा	भोपाल
31.	रेहटी	सीहोर

32.	सिलवानी	रायसेन
33.	गुदगांव	बैतूल
34.	सारंगपुर	राजगढ

परिशिष्ट - 'स'

वृत्तिका ; कस्तुरी & चित्त मरिचिका ; ०६

चित्त मरिचिका ; ०६ फुलफुलकर 'कल' ध; द'क' इ'क'स'का' द'स' १० फुलफुल'ह'ज' ध' इ'ज'फ'क' ए'फ'०; क'ल'ल'र' फ'द'; क' त'क'स'क' A

क्रमांक	प्रक्षेत्र का नाम	जिला
35.	केरलापाल	जगदलपुर
36.	कांकेर	कांकेर
37.	पांखजोर	कांकेर
38.	चलता सीतापुर	सरगुजा
39.	लोहारी	कोरिया
40.	ओरई	मण्डला
41.	बिरईडोगरी	मण्डला
42.	बिरहुलीया	शहडोल
43.	नोगांव	धार
44.	जोबट	झाबुआ
45.	अलीराजपुर	झाबुआ
46.	गढी	बालाघाट